

प्रेषक,

जिलाधिकारी,

मीरजापुर

सेवा में,

कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल),

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,

फरीदकोट हाउस, नई दिल्ली-110001

पत्र सं0 : 6434/एम0एम0सी0-30खनिज/2023-24

दिनांक : 04/11/2023

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 02.11.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में जनपद के 26 स्टोन केशर इकाई एवं 39 ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) के खनन पट्टा क्षेत्र जिनमें उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा CTE/CTO प्राप्त नहीं किया गया है, में खनन/परिवहन प्रतिबन्धित किया गया है।

मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 17.10.2023 के समादर में 39 खनन पट्टा क्षेत्रों में से 37 खनन पट्टा क्षेत्र जिसमें पट्टाधारकों द्वारा सी0टी0ओ0 प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, में खनन/परिवहन की अनुमति दिनांक 02.11.2023 को प्रदान कर दी गयी है (छायाप्रति संलग्न)। मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 12 बी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा दिनांक 02.11.2023 को प्रतिबन्धित 26 स्टोन केशरों को संचालन की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में आई0ए0 सं0 798/2023 प्रतिवादी सं0 39 व 32 तथा आई0ए0 सं0 799/2023 प्रतिवादी सं0 62 व 54 द्वारा दिनांक 17.10.2023 का अनुपालन किये जाने हेतु मा0 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। उक्त वाद में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 02.11.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

.....1. I.A. No. 798/2023 has been filed on behalf of respondents no. 39 and 32 for directions to official respondents to comply with order of this Tribunal dated 17.10.2023.

2. I.A. No. 799/2023 has been filed on behalf of respondents no. 62 and 54 for directions to official respondents to comply with order of this Tribunal dated 17.10.2023.

6. Notice of the interim applications be also issued to the remaining respondents requiring them to file their replies/responses therein on or before 07.11.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

8. In view of the facts and circumstance of the case, we also consider personal appearance of officers duly authorised by Director, Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh, District Magistrate, Mirzapur and concerned Regional Officer, UPPCB(Physically or through VC)on the next date of hearing to be essential for producing the relevant record and assisting this Tribunal in just and proper adjudication of the questions involved in the case. Accordingly they are directed to remain present before this Tribunal on that date with the relevant record.....



उक्त वाद में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 07.11.2023 तक अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने तथा दिनांक 08.11.2023 को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ, जिलाधिकारी मीरजापुर एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी को Physically or through VC के माध्यम से उपस्थित होने के आदेश पारित किये गये हैं। उक्त वाद में अधोहस्ताक्षरी की ओर से अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मीरजापुर व ज्येष्ठ खान अधिकारी, मीरजापुर को मा0 अधिकरण के समक्ष दिनांक 08.11.2023 को Physically or through VC के माध्यम से उपस्थित होने हेतु नामित किया गया है।

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण में वस्तु स्थिति से मा0 अधिकरण को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय

(प्रियंका निरंजन)

जिलाधिकारी,

मीरजापुर

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
3. श्री मुकेश वर्मा, स्थायी अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को इस आशय से प्रेषित कि विषयांकित वाद में प्रभावी पैरवी करने का कष्ट करें।
4. अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), मीरजापुर को इस निर्देश के साथ कि मा0 अधिकरण के समक्ष दिनांक 08.11.2023 को Physically or through VC के माध्यम से उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. ज्येष्ठ खान अधिकारी, मीरजापुर को इस निर्देश के साथ कि मा0 अधिकरण के समक्ष दिनांक 08.11.2023 को Physically or through VC के माध्यम से उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

जिलाधिकारी

मीरजापुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 6422/एम0एम0सी0-30/खनिज/2023-24

दिनांक 02/11/2023

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

श्री राजेश भाई पटेल
पुत्र स्व0 जगदीश सिंह
निवासी ग्राम- रामरसही, पो0 पटिहटा
तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर।

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-भगौतीदेई की आराजी संख्या-180/2 में रकबा 5.00 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 15.11.2014 से 14.11.2024 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. *The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.*

11. *The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.*

.....14. *In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble*

[Signature]

.....2

Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 31.05.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2027 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

दिनांक 02 / 11 / 2023

पत्रांक 6423/एम0एम0सी0-30/खनिज/2023-24

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

श्री नीरज उपाध्याय
पुत्र श्री हरिशंकर उपाध्याय
निवासी ग्राम व पोस्ट पटिहटा,
तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर।

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-भगौतीदेई की आराजी संख्या-703 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 26.08.2016 से 25.08.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.

11. The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble

dit

.....2

Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 26.05.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2027 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 6424/एम0एम0सी0-30/खनिज/2023-24

दिनांक 02 / 11 / 2023

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

श्रीमती विजेता सिंह
पत्नी श्री हेमन्त कुमार सिंह
निवासी ग्राम पटेलनगर (गरौड़ी),
पोस्ट अदलहाट, जनपद- मीरजापुर।

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-भगौतीदेई की आराजी संख्या-705 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 23.08.2016 से 22.08.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. *The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.*

11. *The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.*

.....14. *In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble*

Signature

.....2

Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 05.07.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2027 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।



जिलाधिकारी
मीरजापुर।

1896

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 6425/एम0एम0सी0-30/खनिज/2023-24

दिनांक 02/11/2023

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

श्री अभय सिंह
पुत्र श्री जगत नारायण सिंह
निवासी ग्राम लालपुर, अहरौरा,
तहसील चुनार, जनपद- मीरजापुर।

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-भगौतीदेई की आराजी संख्या-705 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 26.08.2016 से 25.08.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.

11. The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble

dit

.....2



Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 22.05.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2027 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।


जिलाधिकारी
मीरजापुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

दिनांक 02/11/2023

पत्रांक 6420/एम0एम0सी0-30/खनिज/2023-24

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

श्री गंगा सागर सिंह
पुत्र श्री मेघवरन सिंह
निवासी ग्राम-करमपुर,
तहसील- सैदपुर, जनपद-गाजीपुर।

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-भगौतीदेई की आराजी संख्या-730 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 23.08.2016 से 22.08.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.

11. The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble

Signature

.....2

Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 06.06.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2027 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

कार्यालय ¹⁹⁰⁰ जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 641 / एम0एम0सी0-30 / खनिज / 2023-24

दिनांक 02 / 11 / 2023

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

मे0 जे0ए0एम0 मार्बल एण्ड मिनरल्स,
पा0 श्री माता प्रसाद पुत्र श्री राम प्रसाद
निवासी ग्राम पहाड़पुर,
तहसील नरैनी, जनपद- बांदा।

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-भगौतीदेई की आराजी संख्या-180/2 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 26.08.2016 से 25.08.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. *The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.*

11. *The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.*

.....14. *In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble*



.....2

Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 17.06.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2027 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।


जिलाधिकारी
मीरजापुर।

1902

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

दिनांक ०२ / ११ / २०२३

पत्रांक ६५१६ / एम०एम०सी०-३० / खनिज / २०२३-२४

विषय : मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं० ५२१/२०२२ सम्पूर्णानन्द बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में दिनांक १७.१०.२०२३ को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

श्री अशोक कुमार मिश्र
पुत्र श्री रमाकान्त मिश्र
निवासी ग्राम बिहारा, पोस्ट पीला कोठी,
थाना- कोतवाली कर्वी, जनपद-चित्रकूट।

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-भगौतीदेई की आराजी संख्या-१८०/२ में रकबा २.५० एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक २६.०८.२०१६ से २५.०८.२०२६ तक १० वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं० ५२१/२०२२ सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक २७.०४.२०२३ को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० ५२१/२०२२ सम्पूर्णानन्द बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में दिनांक १७.१०.२०२३ को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-
..... 10. The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.

11. The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble

.....2



Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 25.05.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2027 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

[Handwritten signature]
मीरजापुर
21/11/2023

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

1904
कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक ६५१७ / एम०एम०सी०-३० / खनिज / २०२३-२४

दिनांक ०२ / ११ / २०२३

विषय : मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं० ५२१/२०२२ सम्पूर्णानन्द बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में दिनांक १७.१०.२०२३ को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

श्री मो० शाह पुत्र श्री जमात अली शाह
निवासी ग्राम-हरहरपुर डुन्डा शुभाली,
थाना-बहेड़ी, जनपद-बरेली।

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-भगौतीदेई की आराजी संख्या-७३२ में रकबा २.५० एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक २३.०८.२०१६ से २२.०८.२०२६ तक १० वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं० ५२१/२०२२ सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक २७.०४.२०२३ को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० ५२१/२०२२ सम्पूर्णानन्द बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में दिनांक १७.१०.२०२३ को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. *The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.*

11. *The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.*

.....14. *In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble*

Hif

.....2

Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 05.06.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2027 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

दिनांक 02/11/2023

पत्रांक 648 / एम0एम0सी0-30 / खनिज / 2023-24

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

मे0 एस0आर0 डेवलपर्स, प्रो0 श्रीमती रेनू सिंह
पत्नी श्री संदीप कुमार सिंह
निवासी सा.कोरोनेशन कालिंदी विले प्लैट संख्या-402,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, जनपद-लखनऊ

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-भगौतीदेई की आराजी संख्या-180/2 में रकबा 3.00 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 22.11.2016 से 21.11.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.

11. The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble



.....2

Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 22.05.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2027 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।


जिलाधिकारी
मीरजापुर।

1908

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 649 / एम0एम0सी0-30 / खनिज / 2023-24

दिनांक 02 / 11 / 2023

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

श्री स्वतंत्र सिंह पुत्र श्री सिद्धमान सिंह

निवासी 592घ/53सी, राजीव नगर,

थाना- पी0जी0आई0, जनपद-लखनऊ

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-भगौतीदेई की आराजी संख्या-180/2 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 22.11.2016 से 21.11.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. *The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.*

11. *The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.*

.....14. *In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble*

.....2



1909⁻²⁻

Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 25.05.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2027 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

Handwritten signature and date:
2/11/2023

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

1910

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

दिनांक 02/11/2023

पत्रांक 6413/एम0एम0सी0-30/खनिज/2023-24

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

मो0 शमशाद पुत्र श्री मो0 इलियास
निवासी मोहल्ला-म0नं0-578-ए, लाला महावीर प्रसाद रोड
कसाई बार, सदर कैंप, अहमदपुर उर्फ कमलापुर दिलकुशा,
थाना- कैंप, तहसील- सदर, जनपद-लखनऊ

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-भगौतीदेई की आराजी संख्या-180/2 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 22.11.2016 से 21.11.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.

11. The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble



.....2



Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 25.05.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2027 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

Shankar
Shankar
2/11/23

1912
कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 6410/एम0एम0सी0-30/खनिज/2023-24

दिनांक 02/11/2023

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

मे0 करुणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा0लि0,
डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय
निवासी मोहल्ला 153/1, जसोला, नई दिल्ली
स्थायी पता- हिम्मतपुर, मोटा हल्द्व
तहसील लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-भगौतीदेई की आराजी संख्या-705 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 20.12.2016 से 19.12.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. *The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.*

11. *The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.*

.....14. *In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble*

[Signature]

.....2



Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 04.08.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2027 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

1914
कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

दिनांक 02/11/2023

पत्रांक 6514 / एम0एम0सी0-30 / खनिज / 2023-24

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

मे0 करुणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा0लि0,
डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय
निवासी मोहल्ला 153/1, जसोला, नई दिल्ली
स्थायी पता- हिम्मतपुर, मोटा हल्द्व,
तहसील लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-भगौतीदेई की आराजी संख्या-705 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 20.12.2016 से 19.12.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.

11. The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble

.....2



-2-

Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 02.08.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2027 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

1916

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 6415 / एम0एम0सी0-30 / खनिज / 2023-24

दिनांक 02 / 11 / 2023

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

मे0 करुणा कन्सल्टेन्ट्स प्रा0लि0,
डायरेक्टर श्रीमती भावना पाण्डेय पुत्री श्री लक्ष्मी दत्त पाण्डेय
निवासी मोहल्ला 153/1, जसोला, नई दिल्ली
स्थायी पता- हिम्मतपुर, मोटा हल्द्व,
तहसील लालकुआँ, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-भगौतीदेई की आराजी संख्या-705 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 20.12.2016 से 19.12.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.

11. The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble

.....2



Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 04.08.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2027 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।


जिलाधिकारी
मीरजापुर।

1918

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 6411 / एम0एम0सी0-30 / खनिज / 2023-24

दिनांक 02 / 11 / 2023

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

श्री कमला शंकर यादव
पुत्र श्री बाबा प्रसाद यादव
निवासी ग्राम अहिरौली, पोस्ट शीतलगंज,
थाना कोतवाली मंडियाहू, जनपद जौनपुर।

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-भगौतीदेई की आराजी संख्या-728 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 20.12.2016 से 19.12.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-
..... 10. The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.

11. The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble

.....2



Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 25.06.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2026 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।


जिलाधिकारी
मीरजापुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

दिनांक 02 / 11 / 2023

पत्रांक 646 / एम0एम0सी0-30 / खनिज / 2023-24

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री राम सागर मिश्र
निवासी ग्राम - मिश्रपुर, तहसील- सगड़ी,
जनपद- आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी
पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवासी मो0-51ग,
कटरा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद-अमेठी।

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-भगौतीदेई की आराजी संख्या-737 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 04.01.2017 से 03.01.2027 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.

11. The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble

.....2



-2-

Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 07.06.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2027 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।


जिलाधिकारी
मीरजापुर।

1922

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 6412/एम0एम0सी0-30/खनिज/2023-24

दिनांक 02 / 11 / 2023

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

श्री अखिलानन्द मिश्र पुत्र श्री राम सागर मिश्र
निवासी ग्राम - मिश्रपुर, तहसील- सगड़ी,
जनपद- आजमगढ़ व श्री आशीष कुमार तिवारी
पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी निवासी मो0-51ग,
कटरा राजा हिम्मत सिंह, तहसील व जनपद-अमेठी।

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-भगौतीदेई की आराजी संख्या-732 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 04.01.2017 से 03.01.2027 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.

11. The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble



.....2



Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 07.06.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2027 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

1924
कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 6407/एम0एम0सी0-30/खनिज/2023-24

दिनांक 02/11/2023

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

श्री रमाशंकर दूबे
पुत्र श्री सुरेन्द्र दूबे
निवासी कम्हारी, ब्रह्मनगर,
राबर्ट्सगंज, जनपद- सोनभद्र।

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-सोनपुर की आराजी संख्या-142 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 26.08.2016 से 25.08.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.

11. The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble

.....2





1925-

Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 17.06.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2027 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।


जिलाधिकारी
मीरजापुर।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

श्री निक्शय पाण्डेय
पुत्र श्री ऋषिकान्त पाण्डेय
निवासी मो0 भटवा के पोखरी,
तहसील सदर, जनपद-मीरजापुर।

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-सोनपुर की आराजी संख्या-142 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 27.08.2016 से 26.08.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. *The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.*

11. *The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail a judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.*

.....14. *In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble*



Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 05.07.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2027 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्युडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।


जिलाधिकारी
मीरजापुर।

1928
कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 6403 / एम0एम0सी0-30 / खनिज / 2023-24

दिनांक 02 / 11 / 2023

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

श्री चन्द्रभान सिंह
पुत्र श्री हरिराज सिंह
निवासी लाईन पार, चाऊ की बस्ती,
जनपद-मुरादाबाद।

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-सोनपुर की आराजी संख्या- 1 क (ख0सं0 40) में रकबा 3.00 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 27.08.2016 से 26.08.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. *The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.*

11. *The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.*

.....14. *In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble*

.....2

[Handwritten signature]

Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 31.05.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2026 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

R
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

1930

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 6409 / एम0एम0सी0-30 / खनिज / 2023-24

दिनांक 02 / 11 / 2023

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

श्री चन्द्रभान सिंह
पुत्र श्री हरिराज सिंह
निवासी लाईन पार, चाऊ की बस्ती,
जनपद-मुरादाबाद।

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-सोनपुर की आराजी संख्या-1 क (ख0सं0 39) में रकबा 3.00 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 27.08.2016 से 26.08.2026 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.

11. The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble

.....2



Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 31.05.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2026 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।


जिलाधिकारी
मीरजापुर।

1932

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक ५०५ / एम०एम०सी०-३० / खनिज / २०२३-२४

दिनांक ०२ / ११ / २०२३

विषय : मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं० ५२१/२०२२ सम्पूर्णानन्द बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में दिनांक १७.१०.२०२३ को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

श्री बाबू नारायण कुशवाहा पुत्र श्री राम सहाय कुशवाहा
निवासी मो०-रमेडी तरौस शहर-हमीरपुर
एव श्री व्यास वर्मा पुत्र श्री त्रिवेणी प्रसाद वर्मा
निवासी म०न० ५६८ख/२१९ गीतापल्ली, आलमबाग
थाना कृष्णा नगर जनपद- लखनऊ

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-सोनपुर चकजाता की आराजी संख्या-४९७ व १९८ में रकबा ५.०० एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक २२.११.२०१६ से २१.११.२०२६ तक १० वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं० ५२१/२०२२ सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक २७.०४.२०२३ को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० ५२१/२०२२ सम्पूर्णानन्द बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में दिनांक १७.१०.२०२३ को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.

11. The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble

.....2



Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 25.05.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2027 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

1934

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 6405 / एम0एम0सी0-30 / खनिज / 2023-24

दिनांक 02 / 11 / 2023

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

मे0 खाकी बाबा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी
प्रो0 श्री रमेश सिंह पुत्र श्री घुरहू सिंह
निवासी इमरिती कालोनी, राबर्ट्सगंज,
जनपद सोनभद्र।

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-भगौतीदेई की आराजी संख्या-732 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 26.10.2020 से 25.10.2030 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.

11. The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble

.....2





Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 26.05.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2027 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

1936

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 6395 / एम0एम0सी0-30 / खनिज / 2023-24

दिनांक 02 / 11 / 2023

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

मे0 सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0
प्रो0 श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व0देवराज सिंह
निवासी ग्राम नरायनपुर, पोस्ट चेनारी,
रोहतास बिहार।

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-भगौतीदेई की आराजी संख्या-732 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 06.01.2022 से 05.01.2032 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. *The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.*

11. *The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.*

.....14. *In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble*

.....2



1937

Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 14.04.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2023 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।


जिलाधिकारी
मीरजापुर।

1938

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 6396/एम0एम0सी0-30/खनिज/2023-24

दिनांक 02/11/2023

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

मे0 सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0
प्र0 श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व0देवराज सिंह
निवासी ग्राम नरायनपुर,पोस्ट चेनारी,
रोहतास बिहार।

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-भगौतीदेई की आराजी संख्या-732 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 04.07.2022 से 03.07.2032 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. *The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.*

11. *The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.*

.....14. *In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble*

.....2





Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 14.04.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2023 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।


जिलाधिकारी
मीरजापुर।

1940
कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 6397 / एम0एम0सी0-30 / खनिज / 2023-24

दिनांक 02 / 11 / 2023

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

श्री जावेद अहमद पुत्र श्री अली जमीर खाँ
निवासी ग्राम रसूलपुर, थाना अदलहाट,
तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर।

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-भगौतीदेई की आराजी संख्या-730 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 21.07.2021 से 20.07.2031 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. *The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.*

11. *The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.*

.....14. *In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble*



.....2

Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 26.05.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2027 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

1942
कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 6398/एम0एम0सी0-30/खनिज/2023-24

दिनांक 02 / 11 / 2023

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

मे0 सत्य नारायण सिंह कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0
प्र0 श्री सत्य नारायण सिंह पुत्र स्व0देवराज सिंह
निवासी ग्राम नारायनपुर, पोस्ट चेनारी,
रोहतास बिहार।

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-भगौतीदेई की आराजी संख्या-180/2 में रकबा 3.00 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 06.01.2022 से 05.01.2032 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. *The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.*

11. *The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.*

.....14. *In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble*

.....2



Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 14.04.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2023 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।


जिलाधिकारी
मीरजापुर।

1944
कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 6400/एम0एम0सी0-30/खनिज/2023-24

दिनांक 02/11/2023

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व0 जगदीश
निवासी रामरसही, पोस्ट पटिहटा,
तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर।

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-भगौतीदेई की आराजी संख्या-180/2 में रकबा 3.00 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 11.05.2022 से 10.05.2032 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.

11. The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble

.....2





Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 09.05.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2027 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

1946
कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 6399/एम0एम0सी0-30/खनिज/2023-24

दिनांक 82/11/2023

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

श्री संजय भाई पटेल पुत्र स्व0 जगदीश
निवासी रामरसही, पोस्ट पटिहटा,
तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर।

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-भगौतीदेई की आराजी संख्या-180/2 में रकबा 3.00 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 05.01.2022 से 04.01.2032 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. *The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.*

11. *The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.*

.....14. *In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble*



.....2

Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 13.12.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2026 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

1948

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 6501 / एम0एम0सी0-30 / खनिज / 2023-24

दिनांक 62/11 / 2023

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

श्री चन्द्रबली यादव पुत्र श्री बिरजू

निवासी देवनाथपुर, अघवार,

जनपद मीरजापुर।

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-भगौतीदेई की आराजी संख्या-703 में रकबा 2.00 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 06.01.2022 से 05.01.2032 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.

11. The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble



.....2



Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 21.06.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2027 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

1950

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 6402/एम0एम0सी0-30/खनिज/2023-24

दिनांक 02/11/2023

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

मे0 विन्ध्यवासिनी इण्टरप्राइजेज

प्रो0 श्री राजेन्द्र प्रसाद पाठक पुत्र स्व0 रामरुचि पाठक

निवासी मुडिलाडीह, घोरावल, जनपद सोनभद्र।

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-सोनपुर की आराजी संख्या-157 में रकबा 4.00 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 21.07.2021 से 20.07.2031 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. *The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.*

11. *The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.*

.....14. *In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble*

[Handwritten Signature]

.....2



Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 22.05.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2027 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

1952
कार्यालय जिलाधिकारी, भीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 6289 / एम0एम0सी0-30 / खनिज / 2023-24

दिनांक 02 / 11 / 2023

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

मे0 दिलीप बिल्डकान लिमिटेड,

डायरेक्टर श्री दिलीप सूर्यवंशी पुत्र स्व0 शिव नारायण सूर्यवंशी

निवासी प्लॉट नं0-05, इनसाइड गोविन्द नारायण सिंह गेट,

चूनाभट्टी कोलार रोड, भोपाल (म0प्र0)

आपके पक्ष में जनपद-भीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-सोनपुर की आराजी संख्या-1क में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 08.12.2020 से 07.12.2030 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. *The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.*

11. *The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.*

.....14. *In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble*

.....2



Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 30.09.2021 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2025 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।


जिलाधिकारी
मीरजापुर।

1954
कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक ६३१० / एम०एम०सी०-३० / खनिज / २०२३-२४

दिनांक ०२ / ११ / २०२३

विषय : मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं० ५२१/२०२२ सम्पूर्णानन्द बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में दिनांक १७.१०.२०२३ को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

मे० माँ शीतला स्टोन पा० श्री मिथिलेश सिंह
पुत्र श्री रामचरित्तर सिंह निवासी ग्राम अदलपुरा,
थाना व तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर।

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-सोनपुर की आराजी संख्या-१क में रकबा २.०० एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक २८.११.२०१८ से २७.११.२०२८ तक १० वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं० ५२१/२०२२ सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक २७.०४.२०२३ को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० ५२१/२०२२ सम्पूर्णानन्द बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में दिनांक १७.१०.२०२३ को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. *The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.*

11. *The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.*

.....14. *In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble*

.....2



Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 03.06.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2027 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

1956
कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 6391 / एम0एम0सी0-30 / खनिज / 2023-24

दिनांक 02 / 11 / 2023

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

मे0 आर0के0 कन्स्ट्रक्शन कम्पनी

प्र0 श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री विजय प्रताप सिंह

निवासी गरुघाट, थाना कोतवाली शहर, जनपद भीरजापुर।

आपके पक्ष में जनपद-भीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-सोनपुर की आराजी संख्या-1क में रकबा 5.00 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 09.11.2020 से 08.11.2030 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. *The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.*

11. *The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.*

.....14. *In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble*



.....2

Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 25.05.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2027 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

24/11/23

1958
कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 6392/एम0एम0सी0-30/खनिज/2023-24

दिनांक 62 / 11 / 2023

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

मे0 शैलपुत्री प्रो0 श्री लक्ष्मी शंकर मिश्रा

पुत्र श्री विश्वनाथ मिश्रा

निवासी ग्राम बिरमउवा, नकहरा, जनपद मीरजापुर।

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-सोनपुर की आराजी संख्या-142 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 23.12.2021 से 22.12.2031 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.

11. The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble



.....2

Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 22.05.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2027 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

2/11/23

1960
कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 6393 / एम0एम0सी0-30 / खनिज / 2023-24

दिनांक 02 / 11 / 2023

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

श्री गुलबदन पुत्र श्री सेतू

निवासी ग्राम सोनपुर,

तहसील चुनार, जनपद मीरजापुर।

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-सोनपुर की आराजी संख्या-170 में रकबा 3.00 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 31.12.2021 से 30.12.2031 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. *The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.*

11. *The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.*

.....14. *In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble*

.....2



Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 06.06.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2027 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

1962
कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 6394/एम0एम0सी0-30/खनिज/2023-24

दिनांक 02/11/2023

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

मे0 लाईफमैप बिल्डर्स प्रा0लि0

श्री अजय कुमार सिंह पुत्र श्री बैजनाथ

निवासी 51415 ए अम्ब्रोसिया अपार्टमेन्ट,

लंका, जनपद वाराणसी।

आपके पक्ष में जनपद-मीरजापुर की तहसील-चुनार स्थित ग्राम-सोनपुर की आराजी संख्या-142 में रकबा 2.50 एकड़ क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज ईमारती पत्थर सैण्डस्टोन (गिट्टी/बोल्डर/पटिया) का खनन पट्टा दिनांक 05.01.2022 से 04.01.2032 तक 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 27.04.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ0ए0 सं0 521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

..... 10. The mining lease holders are directed to file their response regarding compliance with EC/consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee. The proprietors of stone crushers are also directed to file their response regarding obtaining of consent from UPPCB and compliance with consent conditions including CSR/CER activities and recommendations made by the Joint Committee before this Tribunal with copy to Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur by e-mail on or before 30.11.2023 at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF.

11. The UPPCB and District Magistrate, Mirzapur are directed to file report verifying such compliance by the mining lease holders and stone crushers on or before 31.12.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble

.....2





Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.....

पट्टाधारक द्वारा उसके पक्ष में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत CTO प्रमाण पत्र दिनांक 01.02.2023 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2027 तक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० सं० 521/2022 में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अधीन आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन की अनुमति इस निर्देश के साथ प्रदान की जाती है कि मा० अधिकरण के उक्त आदेश के समादर में अनुपालन आख्या अतिशीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, जिससे मा० अधिकरण के समक्ष सत्यापन आख्या ससमय प्रेषित की जा सके।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली,
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशालय (भारत सरकार), वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।


जिलाधिकारी
मीरजापुर।

1964

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक 25/10/23
Dateसंदर्भ सं०
Ref. No. 102587

102-21 NGT-67/23

पंजीकृत

सेवा में,

M/S NILAMA SINGH (Ex. NAME- M/s MAA VINDHYAVASINI STONE WORKS),
BHAGAUTIDEI, CHUNAR,
MIRZAPUR.

विषय:—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 25.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन में आपकी स्टोन कशर इकाई में संचालन/उत्पादन कार्य को अग्रिम आदेशों तक बंद रखे जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है:—
.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. **The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate.** Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India."

अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा स्टे प्रदान किये जाने के फलस्वरूप मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र दिनांक 25.07.2023 द्वारा जारी निर्देशों को निरस्त किया जाता है तथा खनन इकाई को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (सी0टी0ओ0) प्राप्त होने की स्थिति में संचालन की अनुमति दी जाती है।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

ज़खनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

Third Party

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.com





उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref. No.

102595 / ए-2 / NGT-67/23

दिनांक

Date

21/11/23

सेवा में,

M/S JAY MAA DURGAE MIXTUR PLANT,
BHAGAUTI DEL. PATIHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

पंजीकृत

विषय:—मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 25.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन में आपकी स्टोन कशर इकाई में संचालन/उत्पादन कार्य को अग्रिम आदेशों तक बंद रखे जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है:—

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. **The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate.** Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India."

अतः मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा स्टे प्रदान किये जाने के फलस्वरूप मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र दिनांक 25.07.2023 द्वारा जारी निर्देशों को निरस्त किया जाता है तथा खनन इकाई को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (सी०टी०ओ०) प्राप्त होने की स्थिति में संचालन की अनुमति दी जाती है।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, मीरजापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

फ़ोन - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

Third Party

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.com





1966

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

H02597

1सी-2/NGT-67/23

दिनांक

Date

24/11/23

सेवा में,

M/S MAA GAYATRI STONE WORKS,
SONPUR, AHRAURA, CHUNAR
MIRZAPUR

पंजीकृत

विषय:—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 25.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन में आपकी स्टोन कशर इकाई में संचालन/उत्पादन कार्य को अग्रिम आदेशों तक बंद रखे जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है:—

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. **The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate.** Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India."

अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा स्टे प्रदान किये जाने के फलस्वरूप मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र दिनांक 25.07.2023 द्वारा जारी निर्देशों को निरस्त किया जाता है तथा खनन इकाई को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (सी0टी0ओ0) प्राप्त होने की स्थिति में संचालन की अनुमति दी जाती है।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, मीरजापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

Third Party

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.com



Scanned with OKEN Scanner



1967

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं.
Ref. No.

102598/सी-2/MGT-67/23

दिनांक

Date 21/11/23

सेवा में,

M/S ABHIYAN CONSTRUCTION,
CHAKJATA, AIHRAURA, CHUNAR,
MIRZAPUR

पंजीकृत

विषय:—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 25.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन में आपकी स्टोन कशर इकाई में संचालन/उत्पादन कार्य को अग्रिम आदेशों तक बंद रखे जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. **The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate.** Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India."

अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा स्टे प्रदान किये जाने के फलस्वरूप मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र दिनांक 25.07.2023 द्वारा जारी निर्देशों को निरस्त किया जाता है तथा खनन इकाई को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (सी0टी0ओ0) प्राप्त होने की स्थिति में संचालन की अनुमति दी जाती है।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, मीरजापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

Third Party

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.com



Scanned with OKEN Scanner



1968

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref. No

102599 / सी-2/MGT-67/23

दिनांक
Date

पंजीकृत

सेवा में,

M/S IDEAL VISIONS,
ARAZI NO. 131, VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, CHUNAR,
MIRZAPUR.

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 25.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन में आपकी स्टोन कशर इकाई में संचालन/उत्पादन कार्य को अग्रिम आदेशों तक बंद रखे जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. **The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate.** Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India."

अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा स्टे प्रदान किये जाने के फलस्वरूप मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र दिनांक 25.07.2023 द्वारा जारी निर्देशों को निरस्त किया जाता है तथा खनन इकाई को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (सी0टी0ओ0) प्राप्त होने की स्थिति में संचालन की अनुमति दी जाती है।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, मीरजापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

तारखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

Third Party

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.com



Scanned with OKEN Scanner



1969

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARDदिनांक 21/10/23
Date

संदर्भ सं०

Ref. No

402600 / सी-2/NGT-67/23

पंजीकृत

सेवा में,

M/S UMA STONE WORKS,
ARAZI NO 140, 57 ka, SONPUR BHAGWAT AHRAURA CHUNAR,
MIRZAPUR.

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 25.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन में आपकी स्टोन कशर इकाई में संचालन/उत्पादन कार्य को अग्रिम आदेशों तक बंद रखे जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है:-
.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. **The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate.** Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India."

अतः मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा स्टे प्रदान किये जाने के फलस्वरूप मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र दिनांक 25.07.2023 द्वारा जारी निर्देशों को निरस्त किया जाता है तथा खनन इकाई को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (सी०टी०ओ०) प्राप्त होने की स्थिति में संचालन की अनुमति दी जाती है।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, मीरजापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

Third Party

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.com



1970

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ सं.
Ref. No. 102601

102-2/MGT-67/23

दिनांक 2-11-23
Date

सेवा में,

M/S S.U. ENTERPRISES,
SONPUR, CHUNAR,
MIRZAPUR

पंजीकृत

विषय:—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 25.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन में आपकी स्टोन कशर इकाई में संचालन/उत्पादन कार्य को अग्रिम आदेशों तक बंद रखे जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है:—

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. **The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate.** Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India."

अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा स्टे प्रदान किये जाने के फलस्वरूप मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र दिनांक 25.07.2023 द्वारा जारी निर्देशों को निरस्त किया जाता है तथा खनन इकाई को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (सी0टी0ओ0) प्राप्त होने की स्थिति में संचालन की अनुमति दी जाती है।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, मीरजापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

पे.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
खनऊ - 226010

रूभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

Third Party

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.com





1971

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARDसंदर्भ सं० 402603
Ref. No.

1/21/NGT-67/23

दिनांक 21-23
Date

पंजीकृत

सेवा में,

M/S MAHAKAL MINNING & CONSTRUCTION,
SONPUR, BHAGWAT, CHUNAR,
MIRZAPUR

विषय:—मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या—521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 25.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ०ए० संख्या—521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन में आपकी स्टोन कशर इकाई में संचालन/उत्पादन कार्य को अग्रिम आदेशों तक बंद रखे जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ०ए० संख्या—521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है:—

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. **The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate.** Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India."

अतः मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा स्टे प्रदान किये जाने के फलस्वरूप मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० संख्या—521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र दिनांक 25.07.2023 द्वारा जारी निर्देशों को निरस्त किया जाता है तथा खनन इकाई को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (सी०टी०ओ०) प्राप्त होने की स्थिति में संचालन की अनुमति दी जाती है।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

प्री.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

Third Party

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com



1972 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

402602

सी-2/NGT-67/23

दिनांक

Date

21/23

पंजीकृत

सेवा में,

M/S P.N.C. INFRATECH LTD,
SONPUR, CHUNAR,
MIRZAPUR

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 25.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन में आपकी स्टोन क्रशर इकाई में संचालन/उत्पादन कार्य को अग्रिम आदेशों तक बंद रखे जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है:-
.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. **The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate.** Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India."

अतः मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा स्टे प्रदान किये जाने के फलस्वरूप मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र दिनांक 25.07.2023 द्वारा जारी निर्देशों को निरस्त किया जाता है तथा खनन इकाई को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (सी०टी०ओ०) प्राप्त होने की स्थिति में संचालन की अनुमति दी जाती है।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, मीरजापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

प्री.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

संखनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

Third Party

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.com





1973

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

102596/सा-2/NGT 67/23

दिनांक

Date

21/10/23

पंजीकृत

सेवा में,

M/S RAJESH BHAI PATEL (STONE CRUSHER UNIT),
ARAZI NO. 704 MI, VILL. BHAGWATI DEL,
POST-PATHATTA, PARGANA-BHAGWAWT, CHUNAR,
MIRZAPUR.

विषय:—मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या—521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 25.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ०ए० संख्या—521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन में आपकी स्टोन कशर इकाई में संचालन/उत्पादन कार्य को अग्रिम आदेशों तक बंद रखे जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ०ए० संख्या—521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है:—

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. **The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate.** Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India."

अतः मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा स्टे प्रदान किये जाने के फलस्वरूप मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० संख्या—521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र दिनांक 25.07.2023 द्वारा जारी निर्देशों को निरस्त किया जाता है तथा खनन इकाई को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (सी०टी०ओ०) प्राप्त होने की स्थिति में संचालन की अनुमति दी जाती है।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, मीरजापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
संखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

Third Party

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.com



Scanned with OKEN Scanner



संदर्भ सं/Ref. No. 102394/सी-2/NGT-67/23

दिनांक/Date 21/23

सेवा में,

पंजीकृत

M/S SHRI BAJARANG STONE,
BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 25.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन में आपकी स्टोन कशर इकाई में संचालन/उत्पादन कार्य को अग्रिम आदेशों तक बंद रखे जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. **The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate.** Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India."

अतः मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा स्टे प्रदान किये जाने के फलस्वरूप मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र दिनांक 25.07.2023 द्वारा जारी निर्देशों को निरस्त किया जाता है तथा खनन इकाई को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (सी०टी०ओ०) प्राप्त होने की स्थिति में संचालन की अनुमति दी जाती है।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, मीरजापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

प्री.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
नखनूक - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

Third Party

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com



1975

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref. No

1102593/सं-2/MGT-67/23

दिनांक

Date

21/11/23

सेवा में,

M/S NEW ASHATBHUJA STONE,
BHAGAUTI DEL, PATIHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

पंजीकृत

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 25.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन में आपकी स्टोन क्वेशर इकाई में संचालन/उत्पादन कार्य को अग्रिम आदेशों तक बंद रखे जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है:-
.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. **The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate.** Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India."

अतः मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा स्टे प्रदान किये जाने के फलस्वरूप मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र दिनांक 25.07.2023 द्वारा जारी निर्देशों को निरस्त किया जाता है तथा खनन इकाई को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (सी०टी०ओ०) प्राप्त होने की स्थिति में संचालन की अनुमति दी जाती है।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, मीरजापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

सं.सं. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

फ़ोन - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फ़ैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

Third Party

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.com



Scanned with OKEN Scanner



संदर्भ सं०

Ref. No.

402542 / (A-2) NGT-67/23

दिनांक

Date

27/23

पंजीकृत

सेवा में,

M/S RIYA ENTERPRISES (EX NAME TRIDEV STONE),
BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 25.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन में आपकी स्टोन कशर इकाई में संचालन/उत्पादन कार्य को अग्रिम आदेशों तक बंद रखे जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. **The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate.** Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India."

अतः मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा स्टे प्रदान किये जाने के फलस्वरूप मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र दिनांक 25.07.2023 द्वारा जारी निर्देशों को निरस्त किया जाता है तथा खनन इकाई को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (सी०टी०ओ०) प्राप्त होने की स्थिति में संचालन की अनुमति दी जाती है।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, मीरजापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

फ़ोन नं० - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

Third Party

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.com





1977

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ क्र./
Ref. No. 402597

सेवा में

M/S SHRIKRISHNA STONE CRUSHER,
BHAGAUTI DEL. PATHHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.दिनांक
Date 27/10/23

पंजीकृत

विषय—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 25.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन में आपकी स्टोन क्रशर इकाई में संचालन/उत्पादन कार्य को अग्रिम आदेशों तक बंद रखे जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. **The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate. Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India.**

अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा स्टे प्रदान किये जाने के फलस्वरूप मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र दिनांक 25.07.2023 द्वारा जारी निर्देशों को निरस्त किया जाता है तथा खनन इकाई को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (सी0टी0ओ0) प्राप्त होने की स्थिति में संचालन की अनुमति दी जाती है।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, मीरजापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

ई सी - 12 वी, विभूति खण्ड, गौमती नगर,

संखनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

Third Party

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.com



Scanned with OKEN Scanner



1978

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं.
Ref. No. 102590दिनांक
Date 21/11/23

CA-2/MGT-67/23

सेवा में,

M/S RAUF KHAN,
BHAGAUTI DEI, CHUNAR,
MIRZAPUR.

पंजीकृत

विषय:—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 25.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन में आपकी स्टोन कशर इकाई में संचालन/उत्पादन कार्य को अग्रिम आदेशों तक बंद रखे जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. **The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate.** Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India."

अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा स्टे प्रदान किये जाने के फलस्वरूप मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र दिनांक 25.07.2023 द्वारा जारी निर्देशों को निरस्त किया जाता है तथा खनन इकाई को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (सी0टी0ओ0) प्राप्त होने की स्थिति में संचालन की अनुमति दी जाती है।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, मीरजापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

Third Party

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

संखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

Phone : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

Fax : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

E-mail : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

Website : www.uppcb.com



Scanned with OKEN Scanner



1979

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं.
Ref. No. 102509

100-2/NGT-67/23

दिनांक
Date 21/10/23

सेवा में,

M/S RAJU STONE PRODUCT,
BHAGAUTI DEI, PATHATTA, CHUNAR.,
MIRZAPUR.

पंजीकृत

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 25.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन में आपकी स्टोन कशर इकाई में संचालन/उत्पादन कार्य को अग्रिम आदेशों तक बंद रखे जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. **The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate.** Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India."

अतः मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा स्टे प्रदान किये जाने के फलस्वरूप मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र दिनांक 25.07.2023 द्वारा जारी निर्देशों को निरस्त किया जाता है तथा खनन इकाई को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (सी०टी०ओ०) प्राप्त होने की स्थिति में संचालन की अनुमति दी जाती है।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, मीरजापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

पी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

Third Party

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

दूरभाष - 226 010

Lucknow - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

Phone : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

Fax : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

E-mail : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

Website : www.uppcb.com



Scanned with OKEN Scanner



1980

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

402588 / ए-2 / NGT-67/23

दिनांक

Date

2-11-23

सेवा में,

M/S RAJESH BHAI PATEL,
ARAZI NO. 180/2, BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

पंजीकृत

विषय:—मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 25.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन में आपकी स्टोन कशर इकाई में संचालन/उत्पादन कार्य को अग्रिम आदेशों तक बंद रखे जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. **The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate.** Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India."

अतः मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा स्टे प्रदान किये जाने के फलस्वरूप मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र दिनांक 25.07.2023 द्वारा जारी निर्देशों को निरस्त किया जाता है तथा खनन इकाई को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (सी०टी०ओ०) प्राप्त होने की स्थिति में संचालन की अनुमति दी जाती है।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, मीरजापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

संखनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

Third Party

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.com



Scanned with OKEN Scanner



1981

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref. No.

102505

100-2/NGT-67/23

दिनांक

Date

21/23

सेवा में,

M/S GANGA SAGAR SINGH (STONE CRUSHER),
BHAGAUTI DEI, CHUNAR,
MIRZAPUR.

पंजीकृत

विषय:—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या—521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 25.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ0ए0 संख्या—521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन में आपकी स्टोन कशर इकाई में संचालन/उत्पादन कार्य को अग्रिम आदेशों तक बंद रखे जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ0ए0 संख्या—521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है:—

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. **The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate.** Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India."

अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा स्टे प्रदान किये जाने के फलस्वरूप मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या—521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र दिनांक 25.07.2023 द्वारा जारी निर्देशों को निरस्त किया जाता है तथा खनन इकाई को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (सी0टी0ओ0) प्राप्त होने की स्थिति में संचालन की अनुमति दी जाती है।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, मीरजापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

प्री.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

Third Party

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

दूरभाष - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

E-mail : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

Website : www.uppcb.com



Scanned with OKEN Scanner



संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में,

M/S ELIT STONES BHAGAUTI DEI,
CHUNAR,
MIRZAPUR.

दिनांक

Date

पंजीकृत

विषय:—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 25.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन में आपकी स्टोन कशर इकाई में संचालन/उत्पादन कार्य को अग्रिम आदेशों तक बंद रखे जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है:—

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. **The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate.** Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India."

अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा स्टे प्रदान किये जाने के फलस्वरूप मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र दिनांक 25.07.2023 द्वारा जारी निर्देशों को निरस्त किया जाता है तथा खनन इकाई को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (सी0टी0ओ0) प्राप्त होने की स्थिति में संचालन की अनुमति दी जाती है।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, मीरजापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

Third Party

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.com





1983

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं.
Ref. No.

102584 / 2 / MGT-67/23

दिनांक

Date 2/11/23

सेवा में,

पंजीकृत

M/S ASHIRWAD STONE (EX. NAME M/S ASHIRWAD STONE WORKS)
BHAGAUTI DEI, PATIHATTA, TEH.-CHUNAR,
MIRZAPUR.

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 25.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन में आपकी स्टोन क्रशर इकाई में संचालन/उत्पादन कार्य को अग्रिम आदेशों तक बंद रखे जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. **The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate.** Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India."

अतः मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा स्टे प्रदान किये जाने के फलस्वरूप मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र दिनांक 25.07.2023 द्वारा जारी निर्देशों को निरस्त किया जाता है तथा खनन इकाई को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (सी०टी०ओ०) प्राप्त होने की स्थिति में संचालन की अनुमति दी जाती है।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, मीरजापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

ज़खनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

Third Party

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.com



Scanned with OKEN Scanner



1984

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० / Ref. No. H02583 / ए-2 / NGT-67/23

दिनांक / Date 2/11/23

सेवा में,

पंजीकृत

M/S SATYA NARAIN SINGH CONS. PVT. LTD
(FORMELY P.B.R. INFRATECH PRIVATE LTD., (STONE CRUSHER UNIT-03),
VILL.-SONPUR, TEH.-CHUNAR,
MIRZAPUR.

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 25.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन में आपकी स्टोन कशर इकाई में संचालन/उत्पादन कार्य को अग्रिम आदेशों तक बंद रखे जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. **The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate.** Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India."

अतः मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा स्टे प्रदान किये जाने के फलस्वरूप मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र दिनांक 25.07.2023 द्वारा जारी निर्देशों को निरस्त किया जाता है तथा खनन इकाई को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (सी०टी०ओ०) प्राप्त होने की स्थिति में संचालन की अनुमति दी जाती है।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

Third Party

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

ज़खनऊ - 226 010

Lucknow - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

Phone : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

Fax : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

E-mail : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

Website : www.uppcb.com



Scanned with OKEN Scanner



1985

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में,

M/S P.B.R. INFRATECH PRIVATE LTD.,
UNIT-04, VILL.-SONPUR, TEH.-CHUNAR,
MIRZAPUR.

दिनांक

Date

पंजीकृत

विषय:—मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 25.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन में आपकी स्टोन कशर इकाई में संचालन/उत्पादन कार्य को अग्रिम आदेशों तक बंद रखे जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. **The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate.** Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India."

अतः मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा स्टे प्रदान किये जाने के फलस्वरूप मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र दिनांक 25.07.2023 द्वारा जारी निर्देशों को निरस्त किया जाता है तथा खनन इकाई को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (सी०टी०ओ०) प्राप्त होने की स्थिति में संचालन की अनुमति दी जाती है।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, मीरजापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

संखनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

Third Party

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.com



Scanned with OKEN Scanner



1986

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० / 102581
Ref. No. / 102581दिनांक 2/1/23
Date 2/1/23

सेवा में,

पंजीकृत

M/S MAA SHITLA STONE (STONE CRUSHER UNIT),
VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR,
MIRZAPUR.

विषय:—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या—521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 25.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ0ए0 संख्या—521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन में आपकी स्टोन कशर इकाई में संचालन/उत्पादन कार्य को अग्रिम आदेशों तक बंद रखे जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ0ए0 संख्या—521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है:—

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. **The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate.** Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India."

अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा स्टे प्रदान किये जाने के फलस्वरूप मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या—521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र दिनांक 25.07.2023 द्वारा जारी निर्देशों को निरस्त किया जाता है तथा खनन इकाई को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (सी0टी0ओ0) प्राप्त होने की स्थिति में संचालन की अनुमति दी जाती है।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

Third Party

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

लखनऊ - 226 010

Lucknow - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

Phone : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

Fax : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

E-mail : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

Website : www.uppcb.com



Scanned with OKEN Scanner

संदर्भ सं०
Ref. No.

402380 / 2 / MGT-67/23

दिनांक
Date

पंजीकृत

सेवा में,

M/S R.K. CONSTRUCTION CO.,
VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR,
MIRZAPUR.

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 25.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन में आपकी स्टोन कशर इकाई में संचालन/उत्पादन कार्य को अग्रिम आदेशों तक बंद रखे जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. **The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate.** Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India."

अतः मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा स्टे प्रदान किये जाने के फलस्वरूप मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र दिनांक 25.07.2023 द्वारा जारी निर्देशों को निरस्त किया जाता है तथा खनन इकाई को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (सी०टी०ओ०) प्राप्त होने की स्थिति में संचालन की अनुमति दी जाती है।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

Third Party

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

लखनऊ - 226010

Lucknow - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

Phone : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

Fax : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

E-mail : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

Website : www.uppcb.com





1988

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० 102579
Ref. No.

1/ल-2/NGT-67/23

दिनांक 2/11/23
Date.....

सेवा में,

M/S RAJ LAXMI ENTERPRISES,
VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR,
MIRZAPUR.

पंजीकृत

विषय:-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 25.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन में आपकी स्टोन कशर इकाई में संचालन/उत्पादन कार्य को अग्रिम आदेशों तक बंद रखे जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. **The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate.** Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India."

अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा स्टे प्रदान किये जाने के फलस्वरूप मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र दिनांक 25.07.2023 द्वारा जारी निर्देशों को निरस्त किया जाता है तथा खनन इकाई को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (सी0टी0ओ0) प्राप्त होने की स्थिति में संचालन की अनुमति दी जाती है।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, मीरजापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

श्री.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

संखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

Third Party

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.com



Scanned with OKEN Scanner



1989

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref. No.

102578 / सी-2/NGT-67/23

दिनांक
Date

21-23

सेवा में,

पंजीकृत

M/S RAJ ASSOCIATE CRUSHER PLANT,
VILLAGE-SONPUR, PARGANA-BHAGWAT, TEHSIL-CHUNAR,
MIRZAPUR

विषय:—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 25.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 03.07.2023 के अनुपालन में आपकी स्टोन कशर इकाई में संचालन/उत्पादन कार्य को अग्रिम आदेशों तक बंद रखे जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है:—

.....14. In view of the fact that all the mining lease holders have obtained CTO from UPPCB, the mining lease holders are allowed to resume and continue with mining activities. However, further orders in this regard will also be passed by this Tribunal on filing of compliance responses by the mining lease holders and verification report by UPPCB and District Magistrate, Mirzapur. **The stone crushers, who are the appellants in the civil appeals filed before the Hon'ble Supreme Court of India, are entitled to operate as the direction issued by this Tribunal in paragraph 13 of order dated 03.07.2023 shall remain stayed as ordered by Hon'ble Supreme Court of India. Other stone crushers who are having valid CTO from UPPCB are also allowed to operate.** Further orders regarding the stone crushers will be passed on receipt of orders from Hon'ble Supreme Court of India."

अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा स्टे प्रदान किये जाने के फलस्वरूप मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.10.2023 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र दिनांक 25.07.2023 द्वारा जारी निर्देशों को निरस्त किया जाता है तथा खनन इकाई को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (सी0टी0ओ0) प्राप्त होने की स्थिति में संचालन की अनुमति दी जाती है।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, मीरजापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

प्री.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
नखनऊ - 226 010

Third Party

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

Phone : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

Fax : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

E-mail : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

Website : www.uppcb.com



Scanned with OKEN Scanner